

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

संख्या: ई०एक्स०एन०-ए (3)-४/२०२३-लूज तारीख शिमला-०२

17.10. 2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 21-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से सलग्न अनुसूची- ॥ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अनुसूची" कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अनुसूची में मद संख्या 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 18. लैड ₹ 0.25 प्रति किलोग्राम या उसके भाग के लिए । "

आदेश द्वारा,

(भरत खेड़ा)

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: ई०एक्स०एन०-ए(3)-४/२०२३-लूज तारीख: शिमला-०२.

17.10. 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन) हि० प्र० सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 11.10.2023 की मद संख्या: 38 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि० प्र०, शिमला-०९
- अतिरिक्त/संयुक्त/उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, दक्षिण क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र, शिमला, मण्डी एवं पालमपुर, हि० प्र०।
- ✓ संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उडन दस्ता, दक्षिण क्षे, परवाणु/ उत्तरी, क्षेत्र पालमपुर/ मध्य क्षेत्र ऊना हि० प्र०।
- समर्त उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हि० प्र०।
- संरक्षण नस्ति।

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)

विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Addl. CST & E (C), (Admn/HQ/TRU/GST)
Addl. CST & E (G-II) (Admn/HQ/IT/D/TAU/A. Tax)
Jt/Dy. CST & E (HQ/IT/EIU/LTPU/Legal)
Dy./Asstt. Controller (F&A)
Dy. CST & E (Tax/A. Tax/Excise/EIU/LTPU/TAU)
Assit. CST & E (HQ/Tax/EIU/TAU/Helpdesk & CRU)
Supdt. Grade-1
PS/PA/Reader

Commissioner of State Tax & Excise
Himachal Pradesh

19-X-22

Dy Commissioner State Tax & Excise (P)
15/10/2023

State Tax and Excise Dept.
Dy. No. 15929
27 OCT 2023
Himachal Pradesh
Bhuvnesh